



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092024-256903
CG-DL-E-04092024-256903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3446]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946

No. 3446]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

का.आ. 3776(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2051 तारीख 21/06/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 83.500 से कि.मी.108.202 (एँसडीओ बारामती) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.06.2024" को "सकाळ (मराठी)" और "द टाइम्स ऑफ इंडिया (इंग्रजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 83.500 से कि.मी.108.202 (एँस्डीओ बारामती) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इंदापूर					
गांव का नाम: सुरवड					
1	201	निजी	एग्रीकल्चर	0.002	विश्वंभर आप्पा नारुते. 201
2	203	निजी	एग्रीकल्चर	0.0015	समाइक वदर लोक. 203
3	205	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046	सोनू दासू वदर, रामकृष्ण दासू वदर. 205
गांव का नाम: सराटी					
4	95	निजी	एग्रीकल्चर	0.1046	जयश्री विथल गायकवाड, रावसाहब वामन गायकवाड, मनोज विथल गायकवाड, सानी विथल गायकवाड, सराटी वीआई.केए.से.सो.लिंट.सराटी. 95
Total				0.1127	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2024

S.O. 3776(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2051 Dated:21/06/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH965G in the stretch of land from Km. 83.500 to Km. 108.202 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakal (Marathi)” and “The Times of India (English)” both dated 14.06.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965G in the stretch of land from Km. 83.500 to Km. 108.202 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Indapur					
Village: Surwad					
1	201	Private	Agriculture	0.002	Vishvambhar Aappa Narute. 201
2	203	Private	Agriculture	0.0015	Samaik Vadar Lok. 203
3	205	Private	Agriculture	0.0046	Sonu Dasu Vadar, Ramkrishana Dasu Vadar. 205
Village: Sarati					
4	95	Private	Agriculture	0.1046	Jayashri Vithal Gaikwad, Ravsaheb Vaman Gaikwad, Manoj Vithal Gaikwad, Sani Vithal Gaikwad, Sarati Vi.Ka.Se.So.Lint.Sarati. 95
Total				0.1127	

[F. No. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3D]

ABHAY JAIN, Director